

दिनाँक 27.02.2023

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 45/23 धारा 366 भादिव व मु0अ0सं0 25/23 धारा 366 भादिव से संबंधित 02 अपहृताओं को सकुशल किया बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 45/23 धारा 366 भादिव व मु0अ0सं0 25/23 धारा 366 भादिव से संबंधित 02 अपहताओं को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पृलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री ब्रजेश पुनिया।
- 2. उ0नि0- श्री धीरज कुमार।
- 3-म0का0 316 रीना **।**
- 4.म0 पीआरडी रीमा खोखर ।
- 5. निरीक्षक देवेश कुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम।



दिनाँक 27.02.23

थाना बालैनी पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वांरटी/अभियुक्त का नाम व पता-

सुशील कुमार पुत्र शहारथ सिंह उर्फ अतर सिंह

निवासी नन्दी गार्डन प्रीत विहार, आदर्श नगर, लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

- 1-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2- उ0नि0 श्री अनिल शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।



दिनाँक 27.02.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 43/23 धारा 379/411 भादवि से संबंधित अन्तर्जनपदीय चोर गिरोह के एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 5000 रूपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण/ कार्यवाही-

दिनांक 26.02.23 को वादी श्री विकास पुत्र मन्नू सिंह निवासी ग्राम बराल थाना बुढाना व वादी का ताऊ श्यामा बडौत से शामली जा रहे थे, ग्राम बिराल के पास अभियुक्त वाकेश पुत्र राजपाल निवासी गढी दौलत गंगेरू थाना कांधला जिला शामली द्वारा वादी के ताऊ श्यामा की जेब से 5000 रूपये चोरी कर भागते समय अभियुक्त को वादी व जनता द्वारा पकड़ कर थाने लाया गया। थाना रमाला पुलिस द्वारा अभियक्त वाकेश को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 5000 रूपये नकद बरामद हुए है। इस संबंध में



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 43/23 धारा 379/411 भा.द.वि. पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वाकेश पुत्र राजपाल निवासी गढी दौलत गंगेरू थाना कांधला जनपद शामली। गिरफ्तार अभियुक्त वाकेश का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 173/17 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।
- 2- मु0अ0सं0 418/20 धारा 398/401 भा.द.वि. थाना कांधला जनपद शामली।
- 3- मु0अ0सं0 420/18 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।
- 4- मु0अ0सं0 43/23 धारा 379/411 भा.द.वि. थाना रमाला जनपद बागपत ।

- 1- है0का0 507 पवन कुमार रमाला जनपद बागपत।
- 2- म0 आरक्षी 40 निशी मलिक थाना रमाला जनपद बागपत।



थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 27-02-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 184/23 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई स्टील की एक मेज व एक कुकर बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 27.02.23 को वादी नौशाद पुत्र इशाक अली निवासी मौ0 ईदगाह कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत के घर से अभियुक्त साहिब पुत्र इरफान निवासी मौ0 ईदगाह करूबा बागपत थाना कोतवाली बागपत को स्टील की एक मेज व एक कुकर चोरी करते हुए वादी व जनता द्वारा पकड कर थाने लाया गया। थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त साहिब को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की हुए स्टील



की एक मेज व एक कुकर बरामद हुआ है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 184/23 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिब पुत्र इरफान निवासी मौ0 ईदगाह करूबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 325 शौकीनपाल थाना कोतवाली बागपत।

2-का0 1039 हरेन्द्र थाना कोतवाली बागपत।



थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 27.02.23

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व

<u>पता-</u>

शाहबूदीन उर्फ साबू पुत्र बाबू निवासी कोर्ट रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत।

2-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत।

3-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत।

4-का0 982 नीरज थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट थाना कोतवाली बागपत दिनाँक- 27.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 048/2023 धारा 147/148/149/307/353 भादवि, 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम व 4/25 शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित एक अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 048/2023 धारा 147/148/149/307/353 भादवि, 3/11 पशु क़ुरता अधिनियम व 4/25 शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

1-एक महिला।

- 1-उ0नि0 श्री विनोद शर्मा थाना कोतवाली बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 3-उ0नि0 श्रीमति सरिता थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-म0का० ९८ आंचल थाना कोतवाली बागपत ।
- 5- का० 1067 आशुतोष दुबे कोतवाली बागपत।



थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 27.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 145/23 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.02.2023 को थाना कोतवाली बापगत पर वादी रविन्द्र पुत्र ओमपाल निवासी बाम थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी की दिनांक 14.02.2023 की शाम को उसके भाई विनोद के साथ कपिल पुत्र महेश, सोनू पुत्र सीताराम निवासी सरुरपुर थाना कोतवाली बागपत द्वारा गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से



मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 145/23 धारा 323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 145/23 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कपिल पुत्र महेश निवासी गांव सरुरपुर कला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नरेशचन्द यादव थाना कोतवाली बागपत।

2-का0 647 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली बागपत।



थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 27-02-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 184/23 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 400 रुपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 27.02.23 को वादी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री जगन सिंह निवासी गांव पाचंली खुर्द थाना जानी जनपद मेरठ, लोनी से मेरठ जाते हुए वादी की जेब से 400 रुपये चोरी करने वाले अभियुक्त वाहिद पुत्र हासिम निवासी मौ0 केतीपुरा करूबा बागपत थाना कोतवाली बागपत को वादी व जनता द्वारा



पकड़ कर थाने लाया गया । थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त वाहिद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 400 रुपये बरामद हुए है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 187/23 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वाहिद पुत्र हासिम निवासी वार्ड न0 21 मौ0 केतीपुरा थाना बागपत जिला बागपत गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 476 शुभम चौधरी थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 27.02.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

मुजाहिद उर्फ मुसाहिद पुत्र अनवर निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

- 1.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2. है0का0 378 बलराज सिंह थाना सि0 अहीर जनपद बागपत।